फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय भू–अभिलेख एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी बाली

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरपंच ग्राम पंचायत धणी तह. बाली जिला पाली		राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2025/45

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
07 01/25	पत्रावली पेश हुई। प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है– प्रार्थी सरपंच ग्राम पंचायत धणी ने आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम धणी के गत खसरा नंबर 673 में उपखण्ड अधिकारी महोदय बाली के आदेश क्रमांक रा.अ./85 दिनांक 16.01.1985 से दो बीघा भूमि गै0मु0 भाकर से आबादी में परिवर्तित की जाने के बावजुद आदिनांक तक रिकार्ड में मौका स्थिति अनुसार ग्राम धणी के हाल खसरा नंबर 562/1129 की किस्म गै.मु. पहाड ही दर्ज होने से मौका स्थिति अनुसार माफिक आदेश ग्राम धणी के हाल खसरा नबर 562/1129 रकबा 5.86 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर भूमि की किस्म गै.मु. आबादी दर्ज किये जाने का निवेदन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार बाली ने रिकार्ड व मौका स्थिति की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत की। तहसीलदार बाली ने पटवारी हल्का धणी की जांच रिपोर्ट तथा उपखण्ड अधिकारी महोदय बाली के आदेश क्रमांक रा.अ./85 दिनांक 16.01.1985 की पालना में ग्राम धणी के गत खसरा नंबर 673 से बने हाल खसरा नंबर 562/1129 रकबा 5.86 हैक्टर में से 0.32 हैक्टर जांच रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत नजरी नक्शा के अनुसार आबादी मे परिवर्तित किये जाने की अनुशंषा की। पत्रावली व उपलब्ध रिकार्ड के अवलोकन से ज्ञात है कि अधिकारी महोदय बाली के आदेश क्रमांक रा.अ./85 दिनांक 16.01.1985 से ग्राम धणी के गत खसरा नंबर 673 में से दो बीघा भूमि की किस्म गै.मु. पहाड से परिवर्तन कर बारानी सोयम दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये। साथ ही इस भूमि को ग्राम धणी के अनुसूची जाति के वर्ष 1974–75 में जिन 21 लोगो को पट्टे दिये गये थे, के लिये आबादी में परिवर्तन करने का आदेश दिया था। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार गत खसरा नंबर 673 से बने हाल खसरा नंबर 562/1129 रकबा 0.32 हेक्टर पर नजरी नक्शा में बताये अनुसार 21 व्यक्तियों के मकान बने हुये है। चुंकि प्रार्थना पत्र में उल्लेखित भूमि के संबंध में अधिकारी महोदय बाली के आदेश क्रमांक रा.अ./85 दिनांक 16.01.1985 आदेश से दो बीघा भूमि की किस्म गै.मु. पहाड से परिवर्तित कर बारानी सोयम किये जाने के साथ वर्ष 1974–75 में दिये पट्टे धारको की भूमि को आबादी में परिवर्तन के आदेश पारित किये जा चूके है। जिससे इसी न्यायालय द्वारा पुर्व में पारित आदेश के संबंध में किसी प्रकार का नया आदेश पारित किया जाना न्यायसंगत नही है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज कर अप्रार्थी तहसीलदार बाली को निर्देश दिये जाते है कि प्रकरण में वर्णित भूमि के संबंध में पुर्व में आदेश पारित होने से आप स्वयं अपने स्तर से आदेश की क्रियान्विति के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। 7/01/025 सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned with CamScanner